प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/187045/FTP/FATEHPUR/1218/CFO
दिनांक : 03-02-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **NARAYANA-E TECHNO SCHOOL** पता **PLOT NO-87, RADHA NAGAR, HARIHAR GANJ,BANDA SAGAR ROAD,FATEHPUR** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **5104.38 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3213.06** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
NARAYANA E TECHNO SCHOOL	2	0	7.95 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **NARAYANA-E TECHNO SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **04-02-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **HARDIK GUPTA, Mob- 9044801255** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **04-02-2026** से **03-02-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **NARAYANA-E TECHNO SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **NARAYANA-E TECHNO SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्र आईडी 980 दिनांक 15-05-2025 को निरस्त व भवन के नाम में संशोधन करते हुये निम्न उपबन्धो के अधीन निर्गत हैं। 1-अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को अनिवार्य रूप प्रेषित करें 2- अर्ह एजेन्सी से विद्युत सुरक्षा ऑडिट करा लें। 3-ऊपरी तल का अधिभोग से पूर्व में NBC के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थायों को अधिष्ठापित एवं कार्यशील रखते हुये 03 माह में अग्निशमन व्यवस्थाओ को मानक के अनुसार सुदृढ रखते हुये मांक ड्रिल कराकर रिकॉर्ड को रखते हुये विभाग को सूचित करे, अन्यथा कभी भी कमी पाये जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय। 4-अतिरिक्त निर्माण कार्य से पूर्व अलग से स्वीकृति ली जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
JASVEER SINGH
F7B98AE468F1BBCB87A9B97DD0761ADC9243FF4C
04-02-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 04-02-2026
स्थान : FATEHPUR

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.